न्यायालय–विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–05, रायबरेली।

पीठासीन– श्री विजेश कुमार (एच०जे०एस०)

फौजदारी वाद संख्या–01A/2014

उ०प्र०राज्य

बनाम

1– गुडडन खरवार पुत्र प्रेम खरवार
निवासी मथिनमाई कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार।

------------अभियुक्त

मु०अ०सं०–944/2013
राज्य बनाम पन्ना खरवार आदि।
धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–हरचन्दपुर, जिला–रायबरेली।

निर्णय

1– अभियुक्तगण पन्ना खरवार, गोकुल उर्फ दया शंकर, अजय खरवार, बबलू उर्फ राम प्रवेश, अमरेशपुर उर्फ पुरी, गुडडन खरवार तथा लेदहा के विरूद्ध थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली की पुलिस द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में प्रस्तुत कर परीक्षंण हेतु न्यायालय में दाखिल किया गया है। अभियुक्त गुडडन खरवार की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त गुडडन खरवार की पत्रावली अन्य अभियुक्तों से अलग कर महज अभियुक्त गुडडन खरवार का विचारण किया जा रहा है।

2– संक्षिप्त में अभियोजन कथानक यह है कि दिनाँक 28.11.2013 को समय 20.15 बजे वादी मुकदमा द्वारा राज्य एस०ओ० श्री बिपिन कुमार सिंह ने थाना हरचन्दपुर पर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि ''आज दिनाँक 28.11.2013 को मैं थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह मय हमराही कर्मचारी, जीप सरकारी UP33 AG0204 के वास्ते तलाश वांछित अभियुक्त देखभाल मामूर था कि ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण 1–पन्ना खरवार पुत्र बल्ली माथिन माई कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार, 2–गोकुल उर्फ दयाशंकर पुत्र किरानी खरवार निवासी माथिन माई कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार, 3– अजय खरवार पुत्र दारा निवासी माथिन माई कालोनी बिहिया थाना बिहिया

जिला भोजपुर बिहार, 4–बबलू उर्फ राम प्रवेश पुत्र पारस खरवार निवासी माथिन माई कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार, 5–अमरेश पुरी उर्फ पुड़ी पुत्र सहवान निवासी माथिन माई कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार, 6– गुडडन खरवार पुत्र प्रेम खरवार निवासी माथिन माई कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार, 7– लढेहा पुत्र छिपाली खरवार निवासी माथिन माई कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार हैं जिनका गैंग लीड़र पन्ना खरवार उपरोक्त है। गैंग लीड़र अपने व अपने स्वंय के लिये अपने गैंग के अन्य सदस्यों के लिये समाज विरोधी क्रियाक लाप में लिप्त होकर अनुचित लाभ एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से भा०दं०वि० के अध्याय 16,17 एवं 22 के अन्तर्गत आने वाले नकबजन के अपराध करता है। चोरी के माल को छुपाकर बेंचकर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्तक रता है। इनके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०–266/2013 धारा 457,380,411 I.P.C., अ०सं०–348/13 धारा–3/24 आर्मस एक्ट, अ०सं०–439/13 धारा 3/25 आर्मस एक्ट, थाना हरचन्दपुर व अ०सं०–153/13 धारा 457,380,411 I.P.C. खण्डासा जिला फैजाबाद पंजीकृत है। गैंग लीड़र पन्ना खरवार उपरोक्त व उसके गैंग के अन्य सदस्यों के विरूद्ध गैंगचार्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इनके विरूद्ध गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इनके गैंगलीड़र पन्नालाल खरवार व गैंग के अन्य सदस्यों के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया जो बोला वहीं अंकित किया गया। पढ़कर देखा तस्दीक है। हस्ताक्षर बनाता हूँ।''

3– थानाध्यक्ष के द्वारा गैंग चार्ट का उचित माध्यम से अनुमोदन प्राप्त कर, वादी मुकदमा राज्य द्वारा एस०ओ०विपीन कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली में दिनाँक 28.11.2013 को 20.15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी। विवेचक के द्वारा प्रकरण की विवेचना करते हुये साक्ष्य का संकलन कर मुकदमा अपराध संख्या–944/2013 अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के मामले में अभियुक्तगण पन्ना खरवार, गोकुल उर्फ दया शंकर, अजय खरवार, बबलू उर्फ राम प्रवेश, उमरेश पुरी उर्फ पुरी, गुडडन सरवर तथा लेदहा के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

4– अभियुक्त गुडडन खरवार जिला कारागार रायबरेली से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया। तथा उसकी तरफ से जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थनापत्र न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त गुडडन खरवार की पत्रावली अन्य अभियुक्तों से अलग की गयी। अभियुक्त गुडडन खरवार

पर न्यायालय द्वारा दिनाँक 05.11.2016 को अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने विचारण किये जाने की माँग किया।

5- अभियोजन की तरफ से अपने कथानक को साबित करने हेतु मु०अ०सं०-944/2013 अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना हरचन्दपुर रायबरेली से संबंधित गैंग चार्ट की छायाप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति तथा आरोपपत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है तथा अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिये पी०डब्लू०-1 सुभाष चन्द्र वर्मा रायबरेली को मौखिक साक्ष्य के रूप में परीक्षित किया है। उक्त साक्षी ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

6- अभियुक्त सुरेश कुमार की तरफ से जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थनापत्र इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ''प्रार्थी गुडडन खरवार पुत्र प्रेम खरवार निवासी माथिन माई कालोनी बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर(बिहार) का मूल निवासी है। प्रार्थी दिनाँक 19.8.13 से जिला कारागार रायबरेली में अपराध सं०-944/13 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई पैरोकार नहीं है। माँ बाप बहुत वृद्ध व गरीब हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करना चाहता है। दया दृष्टि करके बितायी हुयी अवधि में छोड़ने का कष्ट करें।

7- अभियुक्त उपरोक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर अभियुक्त गुडडन खरवार का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त गुडडन खरवार ने अपने व अपने अन्य साथियों के साथ एकराय होकर भिन्न-भिन्न दिनाँक, समय व स्थान पर अपने व अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये लूटपाट व चोरी जैसे अपराध कारित करने तथा उक्त अपराध को कारित करने हेतु एक संगठित गिरोह बना रखने के अभियोजन कथानक को स्वीकार किया है तथा साक्षी पी०डब्लू०-1 के द्वारा दिये जा रहे बयान को सही कहा है तथा मुकदमा उनके विरूद्ध चलाया जाना सही कहा है तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार करते हुये कहा है कि वह बहुत गरीब आदमी है। माँ बाप वृद्ध हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसे कम से कम दण्ड से दण्डित करने की याचना की गयी है।

8- मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक फौजदारी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9- अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-1 कां० सुभाष चन्द्र वर्मा थाना हरचन्दपुर ने अपने बयान में कहा है कि ''मैं थाना हरचन्दपुर का पैरोकार हूँ। कैलाश प्रसाद यादव विवेचक के लेख व हस्ताक्षर से परिचित हूँ।

आरोपपत्र उनके लेख व हस्ताक्षर में है। छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। इसपर प्रदर्श क–1 ड़ाला गया। मूल अभिलेख की पत्रावली सं०–01/2014 में संलग्न है।''

10– अभियुक्त गुडडन खरवार के जुर्म स्वीकारोक्ति तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों एवं साक्षी पी०डब्लू०–1 के साक्ष्योंपरान्त अभियुक्त गुडडन खरवार को धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जेल से तलब हो न्यायिक अभिरक्षा में हैं। पत्रावली अभियुक्त के दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

दिनाँकः–08.11.2016 (विजेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–05, रायबरेली।

11– पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हुयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

12– अभियुक्त/दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि वह बहुत गरीब आदमी है। घर में अकेला कमाने वाला आदमी है। माँ बाप अत्यन्त वृद्ध हैं। कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

13– विद्वान विशेष लोक अभियोजन (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त/दोषसिद्ध एक सक्रिय गैंग बनाकर तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु समाज विरोधी क्रिया कलापों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, उसके द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त/दोषसिद्ध को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

14– प्रकरंण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त/दोषसिद्ध गुडडन खरवार को धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली के अपराध में कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

15– अभियुक्त/दोषसिद्ध गुडडन खरवार को मुकदमा अपराध संख्या–

944/2013, अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना हरचन्दपुर जिला रायबरेली के आरोप में 3 वर्ष (तीन वर्ष) के साधारण कारावास तथा 5000/–रूपये (पाँच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

16– अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में दोषसिद्ध/अभियुक्तको 10 दिन (दस दिन) का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

17– अभियुक्त/दोषसिद्ध को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 का लाभ प्रदान किया जाये। अभियुक्त का नियमानुसार सजायवी वारण्ट जारी हो।

दिनाँकः–08.11.2016 (विजेश कुमार)

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–05, रायबरेली।

18– आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँकः–08.11.2016 (विजेश कुमार)

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–05, रायबरेली।